प्रेस नोट　　　　　पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद　　　　　दिनांक 03.09.2024

थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा आत्महत्या के प्रकरण में 04 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 02.09.2024 को थाना अंकुर विहार पर वादी श्री यशपाल सिंह पुत्र बिक्रम सिंह निवासी ग्राम सबदलपुर थाना नरसेना जनपद बुलन्दशहर द्वारा एक तहरीर दी कि मेरे सगे भाई जगजीत सिंह राणा जो डीएलएफ थाना अंकुर विहार में रहते है, ने आत्महत्या कर ली है तथा मेरे भाई ने आत्महत्या करने से पहले एक विडियो बनाकर अपलोड करके सोशल मिडिया पर वायरल की है जिसमे मेरे भाई द्वारा अपनी पत्नी उमाकान्त उर्फ गुडिया, ससुर ब्रजेश सोलंकी, सास कुसुम देवी, साला शिवम सोलंकी व अन्य परिजनों पर प्रताडित करने तथा आत्महत्या करने के लिए उकसाने व परेशान करने का आरोप लगाया है। जिसके सम्बन्ध में थाना अंकुर विहार पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को आज दिनांक 03.09.2024 को संस्कृत वाटिका, डीएलएफ थाना अंकुर विहार से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ पर मृतक जगजीत सिंह की पत्नी श्रीमती उमाकांत उर्फ गुडिया ने बताया कि हम दोनो पति-पत्नी के मध्य अकसर घरेलू व छोटी छोटी बातों को लेकर कहा सुनी होती रहती थी, उसी से तंग आकर मेरे पति ने आत्महत्या कर ली थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

1. ब्रजेश सोलंकी पुत्र चिरंजी सिंह निवासी ग्राम रुपवास पंचगाई थाना खुर्जा देहात बुलन्दशहर उम्र 59 वर्ष
2. शिवम सोलंकी पुत्र ब्रजेश सोलंकी निवासी ग्राम रुपवास पंचगाई थाना खुर्जा देहात बुलन्दशहर उम्र 21 वर्ष
3. उमाकान्त उर्फ गुडिया पुत्री ब्रजेश पत्नी जगजीत सिंह निवासी ग्राम रुपवास पचगई थाना खुर्जा देहात जनपद बुलन्दशहर उम्र करीब 34 वर्ष
4. कुसुम देवी पत्नी ब्रजेश सोलंकी निवासी ग्राम रुपवास पंचगाई थाना खुर्जा देहात बुलन्दशहर उम्र 58 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना अंकुर विहार पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

थाना मसूरी पुलिस द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी की घटना से संबंधित 04 बकरे बरामद।

दिनांक 28.08.2024 को थाना मसूरी पर वादी श्री फुरकान पुत्र सुलतान बैग निवासी ग्राम कुशलिया थाना मसूरी गाजियाबाद के द्वारा तहरीरी सूचना दी कि अज्ञात चोरों द्वारा वादी के फार्म हाउस ग्राम कुशलिया से 28 बकरे चोरी कर लिये हैं। जिसके सम्बन्ध में तत्काल थाना मसूरी पर अभियोग पंजीकृत किया गया एवं घटना के खुलासे के लिए टीमों का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 02-09-2024 को थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर कल्लूगढ़ी से नहर बम्बे की ओर जाने वाले रास्ते पर चौकी क्षेत्र जेल से चोरी की घटना कारित करने वाले 02 बकरे चोर मय 04 बकरों के साथ गिरफ्तार किया गया। जिनके नाम क्रमशः 1- आकाश उर्फ ऐरिस कट्टु पुत्र सतपाल उर्फ सत्तू निवासी झुग्गी नं0 बी-25 सब्जी मण्डी मंगोलपुरी थाना राजपार्क दिल्ली उम्र करीब 28 वर्ष 2- कालू उर्फ कृष्णा पुत्र रमेश निवासी ए-548 मंगोलपुरी थाना राजपार्क दिल्ली उम्र करीब 28 वर्ष है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।

<u>पूछताछ का विवरण -</u> - पूछताछ करने पर अभियुक्त आकाश ने बताया कि मैं दिल्ली में चिकन रेहडी लगाता हूँ। दूसरे अभियुक्त कालू उर्फ कृष्णा उपरोक्त ने बताया कि मैं मजदूरी का कार्य करता हूँ तथा हमारे अन्य साथी 1.राहुल उर्फ बकरा निवासी मगोलपुरी दिल्ली 2. सन्दीप उर्फ गेन्थूल पुत्र अशोक निवासी जी ब्लांक झुग्गी नीयर पत्थर मार्केट मंगोलपुरी दिल्ली 3. मन्नी उर्फ मनीष पुत्र राजुकमार निवासी लिवासपुर गली नं0 11 जी ब्लॉक मंगोलपुरी दिल्ली हम लोग मिलकर एनसीआर क्षेत्र से बकरा व मुर्गी आदि की चोरी करते है। हम दोनो भी पैसे के लालच मे आकर उनके साथ बकरा आदि की चोरी करते हैं। हम सब मिलकर गावो से बकरा चुराकर दिल्ली के बाजार मे बेच देते है तथा जो पैसे मिलते है वे आपस में बाँट लेते है दिनांक 27-08-2024 को हम दोनो व हमारे साथी 1-सन्दीप उर्फ गेन्थूल पुत्र अशोक निवासी जी ब्लांक झुग्गी नीयर पत्थर मार्केट मंगोलपुरी थाना मंगोलपुरी दिल्ली 2- राहुल उर्फ बकरा पुत्र अशोक निवासी जी ब्लांक झुग्गी नीयर पत्थर मार्केट मंगोलपुरी थाना मंगोलपुरी दिल्ली 3- मन्नी उर्फ मनीष पुत्र राजुकमार निवासी लिवासपुर गली नं0 11 जी ब्लौक मंगोलपुरी दिल्ली ने मिलकर रात मे मसूरी थाना क्षेत्र जंगल से बकरो के फार्म से 28 बकरे चोरी किये थे जिनमे से अन्य सभी बकरे हमने व हमारे अन्य साथियो ने मिलकर दिल्ली मे बेच दिये है एवं उन 28 बकरो में जो 04 बकरे बचे थे वह आपने हमसे बरामद कर लिए हैं। हमने व हमारे साथियो ने उन बकरो को दिल्ली मे मुल्ला जाकिर निवासी कसाब पुरा दिल्ली व गुड्डू चिकना निवासी मौहल्ला बाडा दिल्ली को बेच दिये है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम व पता –</u>

1-आकाश उर्फ ऐरिस कट्टु पुत्र सतपाल उर्फ सत्तू निवासी झुग्गी नं0 बी-25 सब्जी मण्डी मंगोलपुरी थाना राजपार्क दिल्ली, उम्र करीब 28 वर्ष

2- कालू उर्फ कृष्णा पुत्र रमेश निवासी ए-548 मंगोलपुरी थाना राजपार्क दिल्ली, उम्र करीब 28 वर्ष

<u>फरार अभियुक्त के नाम व पता –</u>

1- सन्दीप उर्फ गेन्थूल पुत्र अशोक निवासी जी ब्लांक झुग्गी नीयर पत्थर मार्केट मंगोलपुरी थाना मंगोलपुरी दिल्ली

2- राहुल उर्फ बकरा पुत्र अशोक निवासी जी ब्लॉक झुग्गी नीयर पत्थर मार्केट मंगोलपुरी थाना मंगोलपुरी दिल्ली

3- मन्नी उर्फ मनीष पुत्र राजुकमार निवासी लिवासपुर गली नं0 11 जी ब्लॉक मंगोलपुरी दिल्ली

4- मुल्ला जाकिर निवासी कसाब पुरा दिल्ली

5- गुड्डू चिकना निवासी मौहल्ला बाडा दिल्ली

6- पिकअप का मालिक दीपक

बरामदगी का विवरण

चोरी के 04 बकरे बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

1.अभियुक्त आकाश उर्फ ऐरिस कट्टु उपरोक्त के विरूद्ध थाना मसूरी पर चोरी का 01 अभियोग व दिल्ली में 01 आर्म्स एक्ट व 01 चोरी का अभियोग पजीकृत है।

2. अभियुक्त कालू उर्फ कृष्णा उपरोक्त के विरुद्ध थाना मसूरी पर चोरी का 01 अभियोग व दिल्ली में चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है व अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

थाना मसूरी पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा घरों में घुसकर चोरी करने वाले 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से सफेद धातु के 17 सिक्के, पीली धातु की 01 गणेश जी की नृत्य मूर्ति, 01 गणेश जी का मुखौटा, 01 घण्टा, 07 नल की टोटी व 6000/- रू0 बरामद।

कार्यवाही का विवरण: दिनांक 01.09.2024 को श्रीमती दीपाली नैय्यर म0नं0 812 डी ब्लाक गुलमोहर सोसाईटी गाजियाबाद (उ0प्र0) ने अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादिया के घर में खिडकी का शीशा तोड कर घर में घुसकर चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी तत्काल थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर टीमों का गठन किया गया। मैनुअल इनपुट, सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक 03.09.2024 को उक्त घटना को कारित करने वाले 03 शातिर अभियुक्त 1.वीरेन्द्र पुत्र विजय गिरी निवासी पंचायत वाली गली भौपुरा थाना टीलामोड गाजियाबाद उम्र 21 वर्ष, 2.दीपक पुत्र विनोज सिंह निवासी विक्रम एन्कलेव थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष, 3.दानिश पुत्र बाबू निवासी बी ब्लाक शान्ति निकेतन स्कूल के पास राजीव कालौनी थाना साहिबाबाद व मूल पता न्यू इस्लाम नगर गली न0 35 म0नं0 173 अक्क्षा मस्जिद के सामने थाना लोहिया नगर मेरठ उम्र 22 वर्ष को मोहननगर चौराहा से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से सफेद धातु के 17 सिक्के, पीली धातु की 01 गणेश जी की नृत्य मूर्ति, 01 गणेश जी का मुखौटा, 01 घण्टा, 07 नल की टोटी व 6000/- रू0 बरामद हुआ। समस्त प्राप्त चोरी का सामान दानिश कबाडी के पास से बरामद किया गया। अभियुक्तगणों उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्तों से पूछताछ की गयी तो अभियुक्त वीरेन्द्र एवं दीपक ने बताया कि हम गुलमोहर सोसाइटी में कई वर्षो से सफाई का कार्य करते है। फ्लैट सं0 612 डी जो पिछले कई वर्षो से बंद पडा है तो हम दोनो ने लालच में आकर बन्द पडे फ्लैट में से कुछ सामान चोरी करने की योजना बनायी। हम पहले भी सोसाइटी मे से छोटी मोटी चोरी करते थे। योजना के मुताबिक दीपक जीने पर खडा होकर निगरानी करने लगा और वीरेन्द्र ने छत से सीडी लगाकर खिडकी का शीशा तोडकर फ्लैट के अन्दर जाकर सामान चोरी की। फिर हम दोनो ने मिलकर चोरी का सामान दानिश कबाडी को बेच देते थे।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगणों का नाम व पता</u>

1.वीरेन्द्र पुत्र विजय गिरी नि0 पंचायत वाली गली भौपुरा थाना टीलामोड गाजियाबाद उम्र 21 वर्ष।
2.दीपक पुत्र विनोज सिंह नि0 विक्रम एन्कलेव थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष।
3.दानिश पुत्र बाबू निवासी बी ब्लाक शान्ति निकेतन स्कूल के पास राजीव कालौनी थाना साहिबाबाद व मूल पता न्यू इस्लाम नगर गली न0 35 म0न0 173 अक्क्षा मस्जिद के सामने थाना लोहिया नगर मेरठ उम्र 25 वर्ष।

<u>बरामदगी का विवरण</u>

कब्जे से सफेद धातु के 17 सिक्के, पीली धातु की 01 गणेश जी की नृत्य मूर्ति, 01 गणेश जी का मुखौटा, 01 घण्टा, 07 नल की टोटी व 6000/- रू0 बरामद।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

साहिबाबाद पुलिस टीम।